न्यायालय न्याय निर्णयन अधि तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
43 / 2024 प्रा.पत्र / 2024	03.07.2024	18.09.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन निवासी श्रीराम कॉलोनी नमोकार अस्पताल के पास निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन भगत सिंह कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021 मोबाईल नं0 9214866233

2– मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन भगत सिंह कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021

3–श्री लोकेश खण्डेलवाल पुत्र श्री बृजमोहन खण्डेलवाल निवासी 10/2, संध्या, दयानन्द कॉलोनी, रामनगर अजमेर राज0 प्रोपरायटर मैसर्स श्री श्याम फूड प्रोडक्टस् डांग सरधाना अजमेर राज0/ रजिस्टर्ड ऑफिसः–ब्यावर रोड तबीजी अजमेर राज0। पिनकोड–305001 मोबाईल नं0 9649022471

4– मैसर्स श्री श्याम फूड प्रोडक्टस् डांग सरधाना अजमेर राज0/ रजिस्टर्ड ऑफिसः–ब्यावर रोड तबीजी अजमेर राज0। पिनकोड–305001

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द जैन स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 18/9/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2024 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन भगत सिंह कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन भगत सिंह कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ तेल,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में तेल, घी, मसालों के साथ–साथ दुकान के गोदाम में कागज के 3 कार्टून में लगभग 36 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 लीटर पैक **घी(सारस ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान की गोदाम में कागज के 3 कार्टून लगभग 36 मूल पैक पैक्ड अवस्था में जिनके बैंच नम्बर 02 एवं पैकिंग की दिनांक फरवरी 2024 थी, **घी(सारस ब्राण्ड)** में से 1 लीटर पैक का 1 मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी(सारस ब्राण्ड)** 1 मूल पैक 1 लीटर को खोलकर प्लास्टिक की साफ व सूखी शिशियों में बराबर–बराबर 250–250 एम.एल. भरकर, प्रत्येक शीशी के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3969 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलप नं. आई–3969 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील बपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग, मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील बपड़ी कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री सुरेश चन्द जैन पुत्र श्री रूपचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मेसर्स श्री श्याम फूड प्रोडक्ट्स ब्यावर रोड तबीजी अजमेर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/464 दिनांक 30.04.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स एलएस/1000/एक्ट/2024/1234–ए दिनांक 04.04.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्त मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी(सारस ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश चन्द जैन स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी(सारस ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी(सारस ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/9/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
न्यायिक निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज